रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1835] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 22, 2018/ज्येष्ठ 01, 1940
No. 1835] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 22, 2018/JYAISTHA 01, 1940

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मई, 2018

का.आ. 2030(अ).—अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारुप, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, और यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव देने का इच्छुक है, वह इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, अपनी आपत्ति या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को या ई-मेल esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकता है।

प्रारूप अधिसूचना

इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य के सिवनी और छिंदवाड़ा जिले में स्थित है और पेंच मौगली अभयारण्य सिवनी जिले के कुराई खंड तक सीमित है। बफर क्षेत्र में सिवनी जिला में दक्षिण सिवनी संभाग के रिजर्व और संरक्षित वनों और छिंदवाड़ा जिला के पूर्व और दक्षिण छिंदवाड़ा संभाग का भाग शामिल है। पेंच बाघ रिजर्व का कोर क्षेत्र/संकटमय बाघ पर्यावास, भौगोलिक निर्देशांक के देशांतर 79^0 08' 51" से 79^0 31' 55" पू और अक्षांश 21^0 38' 55" से 21^0 53' 52" उ में 411.33 वर्ग किलोमीटर के कोर क्षेत्र में स्थित है।

और, पेंच बाघ रिज़र्व के कोर क्षेत्र में इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान और पेंच मौगली अभयारण्य शामिल है। पेंच मौगली अभयारण्य का प्रबंधन वर्ष 1995 में मध्य प्रदेश वन विभाग की अधिसूचना एफ-14/176/94/10/2, भोपाल, दिनांक 29-03-95 को पेंच बाघ रिज़र्व को सौंपा गया था। 2007 में पेंच बाघ रिज़र्व सिवनी के कोर को मध्य प्रदेश वन विभाग की अधिसूचना एफ 15-31-2007-X-2, दिनांक 24.12.2007 को राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य के क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है। बफर क्षेत्र को मध्य प्रदेश सरकार वन विभाग की अधिसूचना सं. एफ-15-8/2009/10-2, दिनांक 5 अक्टूबर, 2010 को अंततः 768.300 वर्ग किलोमीटर अधिसूचित किया गया है। बफर क्षेत्र दक्षिण सिवनी संभाग, पूर्व छिंदवाड़ा संभाग और दक्षिण छिंदवाड़ा संभाग जैसे तीन क्षेत्रीय संभागों की प्रत्यक्ष नियंत्रण में है। इस क्षेत्र को क्षेत्र निदेशक, पेंच बाघ रिजर्व के नियंत्रण में देने की प्रक्रिया चल रही है।

और, मध्य भारत के प्राकृतिक इतिहास में पेंच बाघ रिज़र्व का अपना महत्व है। इसकी प्राकृतिक सुंदरता और जीवजन्तु और वनस्पतियों में इसकी समृद्धता का उल्लेख 17वीं शताब्दी से लेकर कई साहित्यों में किया गया है। 19वीं और पूर्व 20वीं शताब्दी से संबंधित प्रसिद्ध प्रकृतिविदों जैसे कैप्शन जे. फोर्सथ (मध्य भारत की उच्च भूमि), आर.ए.स्टेरंडेले (सिवनी में शिविर जीवन, और भारत के स्तनधारी), डेंपर ब्रैडर (मध्य भारत में जंगली पशु) और रुदयार्ड किपलिंग (जंगल बुक) की पुस्तकों में सतपुडा पर्वत माला में स्पष्ट रूप से प्रकृति की बहुतायत का विस्तृत वर्णन किया गया है।

और, पेंच बाघ रिज़र्व का क्षेत्र भी लोकप्रिय मौगली भूमि के रूप में भी जाना जाता है। भेड़ियों के एक झुंड द्वारा पाले गए मौगली नाम के एक लड़के को 1831 में कर्नल विलियम स्लेमेन के मार्गदर्शन में लियोट. जॉन मूर द्वारा संत बावड़ी ग्राम में पाया गया था। किपलिंग ने चीजों के इस खूबसूरत विवरण को अपनी पुस्तक के शीर्षक सर विलियम हेनरी स्लेमेन द्वारा "अपनी मांद में बच्चों का पोषण करने वाले भेड़िये" और आर. ए. स्टेरंडेले द्वारा "कैंप लाइफ ऑफ़ सिवनी" में दिया। जंगल बुक में एक स्थान का उल्लेख किया गया जहां शेर खान को मार दिया गया था। यह स्थान वास्तव में कंधीवाड़ ग्राम के निकट बाणगंगा नदी की घाटी है। वर्तमान समय में, इस स्थान का ऐतिहासिक महत्व प्रसिद्ध पेंच राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है। अत्यधिक संकटापन्न ग्रेट कैट "बाघ" के संरक्षण के लिए विश्व में भारत के केंद्रीय उच्चभूमि सबसे महत्वपूर्ण वासस्थानों में से एक है। इन उच्चभूमियों के मध्य में पेंच बाघ रिज़र्व स्थित है। यह सिवनी, बालाघाट और मंडला जिलों के वनों द्वारा कान्हा से जुड़ा है और दक्षिणी भाग महाराष्ट्र के पेंच बाघ रिजर्व के निकटतम है।

पेंच बाघ रिज़र्व की आर्द्रभूमि पक्षी-जीवों के संरक्षण के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यह न केवल आवासीय पक्षियों के लिए उपयुक्त आवास प्रदान करता है; बल्कि कई जल मुर्गाबियों के लिए शीत भूमि भी प्रदान करता है। तोतालादोह जलाशय के द्वीपों में घोंसले बनाने वाले पक्षियों जैसे रिवर टर्न, स्मॉल प्रटैंकोल एवं लिटिल टर्न के लिए घोंसले का मैदान प्रदान करता है। यही कारण है कि इस क्षेत्र को **महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र** में शामिल किया गया है।

और, पेंच बाघ रिजर्व (इंदिरा प्रियदर्शिनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान और मोगली पेंच अभयारण्य) के संरक्षित क्षेत्र के चारों ओर के क्षेत्र को, पारिस्थितिकी और पर्यावरण की दृष्टि से, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में संरक्षित और सुरक्षित करना आवश्यक है।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की उपधारा (1) तथा धारा 3 की उपधारा (2) एवं उपधारा (3) के खंड (v) और खंड (xiv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्य प्रदेश राज्य में पेंच बाघ रिजर्व (इंदिरा प्रियदर्शिनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान और मोगली पेंच अभयारण्य) की सीमा के चारों ओर 0 से 27 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को पेंच बाघ रिजर्व (इंदिरा प्रियदर्शिनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान और मोगली पेंच अभयारण्य) पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और सीमा**.-

(1) पेंच बाघ रिजर्व (इंदिरा प्रियदर्शिनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान और मौगली पेंच अभयारण्य) के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का कुल क्षेत्रफल **1180.63** वर्ग किलोमीटर है जिसमें पेंच बाघ रिजर्व, इंदिरा प्रियदर्शिनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान और पेंच मौगली अभयारण्य के सभी अधिसूचित बफर क्षेत्र सम्मिलित हैं, और जब कभी बफर क्षेत्र कोर क्षेत्र के

आस-पास मौजूद नहीं होता है और बफर क्षेत्र ऐसे स्थानों में कोर क्षेत्र की सीमा से 2 किमी. से कम है, तो पारिस्थितिकी संवेदी जोन कोर सीमा से 2 किमी तक होगा, चाहे इसका स्वामित्व मध्य प्रदेश के सिवनी और छिंदवाड़ा जिले में पड़ता है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा शून्य (अंतर-राज्य सीमा के कारण) से 27 किलोमीटर तक भिन्न होती है।

(2) सीमा वर्णन के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण **उपाबंध I** में हैं।

(3) संरक्षित क्षेत्र और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भू-निर्देशांकों की सूची **उपाबंध II** में है|

(4) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध III** के रुप में संलग्न है|

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.–(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए, राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनार्थ एक आंचलिक महायोजना बनायेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति से तथा प्रासंगिक केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरूप तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों, यदि कोई हों, के अनुसार बनायी जाएगी ।

(3) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरण संबंधी सरोकारों को शामिल करने के लिए इसे राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से बनाया जाएगा, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण;

(ii) वन और वन्यजीव;

(iii) कृषि और बागवानी;

(iv) राजस्व;

(v) शहरी विकास;

(vi) पारिस्थितिकी पर्यटन सहित पर्यटन;

(vii) ग्रामीण विकास;

(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;

(ix) नगरपालिका और शहरी विकास;

(x) पंचायती राज, और

(xi) लोक निर्माण विभाग।

(4) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, आंचलिक महायोजना में वर्तमान में अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तथा आचंलिक महायोजना में सभी अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों में सुधार करके उन्हें अधिक दक्ष और पारिस्थितिकी-अनुकूल बनाने की व्यवस्था की जाएगी ।

(5) आंचलिक महायोजना में वन रहित और अवक्रमित क्षेत्रों के सुधार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय जनता की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं की व्यवस्था की जाएगी जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

(6) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों एवं शहरी बस्तियों, वनों की श्रेणियों एवं किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, उद्यानों एवं उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों और अन्य जल निकायों की सीमा

का निर्धारण किया जाएगा तथा सहायक मानचित्र भी दिया जाएगा। इस महायोजना में विद्यमान और प्रस्तावित भू- उपयोग की विशेषताओं का ब्यौरा देने वाले मानचित्र भी दिए जाएंगे।

(7) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में होने वाले विकास का विनियमन किया जाएगा और सारणी में यथासूचीबद्ध प्रतिषिद्ध एवं विनियमित क्रियाकलापों का पालन किया जाएगा। इसमे स्थानीय जनता की आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी-अनुकूल विकास का भी सुनिश्चय एवं संवर्धन किया जाएगा।

(8) आंचलिक महायोजना, क्षेत्रीय विकास योजना की सह-कालिक होगी ।

(9) अनुमोदित आंचलिक महायोजना, निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी ताकि वह इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार निगरानी के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय:-** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :--

1. **भू-उपयोग**:

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, उद्यानों तथा मनोरंजन के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए खुले स्थानों का बड़े वाणिज्यिक और आवासीय परिसरों संबंधी औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं किया जाएगा:

(ख) परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन, निगरानी समिति की सिफारिश पर और यथा लागू और क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा केन्द्रीय/राज्य सरकार के अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, तथा इस अधिसूचना के उपबंधों द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जैसे कि:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का निर्माण करना;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का निर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) ग्रामीण उद्योगों सहित कुटीर उद्योग सुविधा भण्डार और गृह वास सहित स्थानीय सुविधाएं जो पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक हैं; और

(v) बढ़ावा दिए गए और पैरा-4 में वर्णित क्रियाकलाप :

(ग) परंतु यह भी कि राज्य सरकार के प्रासंगिक नियमों तथा विनियमों एवं क्षेत्रीय शहरी नियोजन अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना तथा संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों अथवा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, के अनुपालन के बिना वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का प्रयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

(घ) परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर की भूमि के अभिलेखों में उत्पन्न किसी त्रुटि की, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार शुद्धि की जाएगी और उक्त त्रुटि के शुद्धिकरण की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी ।

(ड़) परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि का सुधार में, इस उप-पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन शामिल नहीं होगा ।

(च) अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करके पर्यावासों एवं जैव विविधता की बहाली के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत**- आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों/नदियों/जलमार्गो के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उसमें उनके संरक्षण और पुनरूद्धार की योजना शामिल की जाएगी ।

(3) **पर्यटन/पारिस्थितिकी पर्यटन**:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन संबंधी पर्यटन महायोजना के अनुसार होगा ।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य के पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श पर्यटन विभाग द्वारा से बनाई जायेगी ।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का एक घटक होगी ।

(घ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित होंगे,:-

(i) वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 1.0 किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इसमें जो भी निकट हो, किसी होटल या रिजार्ट का नया संन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा । तथापि, वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 1.0 किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक नए होटलों और रिजार्टों की स्थापना पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए पूर्व परिभाषित एवं अभीहित क्षेत्रों में अनुज्ञात की जाएगी।

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रिया-कलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों तथा पारिस्थितिकी पर्यटन पर बल देने वाले राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन दिशा-निर्देशों (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होगा ।

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन होने तक, पर्यटन के विकास तथा विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विशिष्ट संवीक्षा तथा निगरानी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नये होटल/रिजार्ट या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का संन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होगा ।

(4) **प्राकृतिक विरासत –** पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि जीन पूल रिजर्व क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी और उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कलाकृति- क्षेत्रों तथा ऐतिहासिक, स्थापत्य संबधी, सौंदर्यात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण**– झारखंड राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन बने ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण संबंधी विनियमों को लागू करेगा ।

(7) **वायु प्रदूषण**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार किया जाएगा।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत शामिल किए गए पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण संबंधी साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, इनमें जो भी अधिक कठोर हों, के अनुसार किया जाएगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट -**ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं प्रबन्धन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), दिनांक 8 अप्रैल, 2016 के तहत प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। अकार्बनिक पदार्थों का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जाएगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन**- जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय–समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(ख) पारिस्थितिकी संवदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जाएगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन:-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधो के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन:-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई–अपशिष्ट:-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित तथा समय- समय पर यथा संशोधित ई–अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **सड़क-यातायात:-** सड़क-यातायात को पर्यावास-अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध शामिल किए जाएंगे। आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित होने तक, निगरानी समिति प्रासंगिक अधिनियमों और उनके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार सड़क-यातायात के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(15) **वाहन जनित प्रदूषण:-** वाहन जनित प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा। स्वच्छतर ईंधन जैसे कि सीएनजी, एलपीजी आदि के प्रयोग के प्रयास किए जाएंगे ।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां:-** (i) सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को या उसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी।

(ii) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना अनुज्ञात होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों का संरक्षण:-** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी ।

(ख) जिन ढ़लानों या विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है उनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी ।

(18) केन्द्र सरकार और राज्य सरकार, यदि आवश्यक समझें तो, इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए, अन्य उपाय विनिर्दिष्ट करेंगी।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले या बढ़ावा दिए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और तटीय विनियमन जोन (सीआरजेड) अधिसूचना, 2011 एवं पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 सहित उसके अधीन बने नियमों और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) सहित अन्य लागू नियमों तथा उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे :--

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	विवरण
(1)	(2)	(3)
	प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन ।	(क) स्थानीय निवासियों की वास्तविक घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किए जाने वाले क्रियाकलापों, जिनमें घरों के निर्माण या मरम्मत और मकान बनाने एवं अन्य क्रियाकलापों के लिए देशी टाइलें या ईंटें बनाने हेतु जमीन की खुदाई शामिल है, को छोडकर सभी नई और वर्तमान (लघु एवं वृहद खनिज) पत्थर खोदने एवं तोडने वाली ईकाइयां तत्काल प्रभाव से निषिद्ध की जाती हैं ; (ख) खनन क्रियाकलाप, टी.एन. गोदावर्मन थिरूमलपाद बनाम भारत संघ के मामले में वर्ष 1995 की रिट याचिका (सिविल) सं 202 में दिनांक 4 अगस्त, 2006 तथा गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में वर्ष 2012 की रिट याचिका(सिविल) सं. 435 में दिनांक 21 अप्रैल, 2014 के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार किए जाएंगे।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि आदि) उत्पन्न करने वाले नए तेल और गैस खोज उद्योगों सहित उद्योगों की स्थापना ।	(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में नए उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगी। (ख) जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना अनुज्ञात होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
3.	बड़ी ताप एवं जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन या प्रस्संकरण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।

	अनुपचारित बहिस्रावों का निस्सारण ।	
6.	नई आरा मिलों और काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में नई आरा मिलों की स्थापना और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
7.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
8.	प्लास्टिक के थैलों का प्रयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
9.	ईंट भट्टों की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
	विनियमित क्रियाकलाप	
10.	होटलों और रिजॉर्टों की वाणिज्यिक स्थापना ।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण के सिवाय, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी। परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर बाहर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, पर्यटन महायोजना और लागू दिशा-निर्देशों के अनुसार इनमें जो भी अधिक निकट हो, सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप करने या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार करने की अनुज्ञा होगी।
11.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी भी प्रकार के नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी: परंतु स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने प्रयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी:- (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ करना और नई सड़कों का संनिर्माण करना; (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण करना; (iii) फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किए गए वर्गीकरण के अनुसार गैर- प्रदूषणकारी लघु उद्योगों की स्थापना; (iv) ग्रामीण उद्योगों सहित कुटीर उद्योगों, सुविधा भण्डारों और ग्रह वास सहित पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक स्थानीय सुविधाओं की व्यवस्था; और (v) इस अधिसूचना में सूचीबद्ध बढ़ावा दिए गए क्रियाकलाप । (ख) परन्तु गैर–प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जाएंगे और वे

		न्यूनतम होंगे । (ग) एक किलोमीटर क्षेत्र से आगे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे ।
12.	स्थानीय जनता द्वारा अपनायी जा रही वर्तमान कृषि और बागवानी पद्धतियों के साथ डेयरियां, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	स्थानीय जनता के प्रयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे।
13.	फर्मों, कारपोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
14.	गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों तथा पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्रियों से उत्पाद बनाने वाले अपरिसंकटमय लघु और सेवा उद्योगों, कृषि, पुष्प कृषि, बागबानी या कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होगी।
15.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन भूमि या सरकारी भूमि या राजस्व भूमि या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई की अनुज्ञा नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई केंद्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियमों और उनके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी ।
16.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों (एनटीएफपी) का संग्रह ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
17.	विद्युत और संचार टॉवर लगाने, तार-बिछाने तथा अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा । भूमिगत केबल बिछाने को बढ़ावा दिया जाएगा।
18.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचे की व्यवस्था।	ये कार्य लागू विधियों, नियमों, विनियमों और मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ किये जायेंगे।
19.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ बनाना और नई सड़कों का निर्माण करना ।	ये कार्य लागू विधियों, नियमों, विनियमों और मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ किये जाएंगे।
20.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से गर्म वायु के गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स उड़ाना आदि ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
21.	पर्वतीय ढ़लानों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
22.	रात्रि में सड़क यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होगा ।
23.	प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सारण ।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव के निस्सारण से बचा जाएगा। उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुन:उपयोग के प्रयास किए जाएंगे अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का

		निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा ।
24.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक प्रयोग एवं निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
25.	कृषि या अन्य उपयोग के लिए खुले कुएं/ बोर कुएं आदि का निर्माण ।	समुचित प्राधिकारी द्वारा विनियमित किया जाएगा तथा क्रियाकलाप की सख्त निगरानी की जाएगी ।
26.	ठोस अपशिष्ट/ जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
27.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
28.	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग का प्रयोग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
29.	पारिस्थितिकी पर्यटन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
	संवर्धित क्रियाकलाप	
30.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
31.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
32.	वर्षा जल संचय ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
33.	ग्रामीण कारीगरी सहित कुटीर उद्योग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
34.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का प्रयोग ।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को सक्रिय बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
36.	बागान लगाना और औषधीय पौधों का रोपण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
37.	पारिस्थितिकी अनुकूल यातायात का प्रयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
38.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
39.	अवक्रमित भूमि/वनों/ पर्यावासों की बहाली ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
40.	पर्यावरण के प्रति जागरुकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. निगरानी समिति—केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 (1) की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पारिस्थितिकी संवेदी जोन की प्रभावी निगरानी के लिए प्रथम निगरानी समिति गठित करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:--

i.	संभागीय आयुक्त, जबलपुर	-अध्यक्ष;
ii.	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रतिनिधि	–सदस्य;
iii.	गैर-सरकारी संगठनों (विरासत संरक्षण सहित पर्यावरण के क्षेत्र में सक्रिय) का एक प्रतिनिधि, जिसे राज्य सरकार द्वारा नामित किया जायेगा	–सदस्य;
iv.	मध्य प्रदेश के वन और पर्यावरण विभाग द्वारा नामित प्रतिनिधि	–सदस्य;
v.	राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाने वाला जैव विविधता का एक विशेषज्ञ	–सदस्य;

vi.	राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाने वाला पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण क्षेत्र का एक विशेषज्ञ	–सदस्य;
vii.	संरक्षित क्षेत्र का भार-साधक	– सदस्य सचिव।

6. विचारार्थ विषय:—

(1) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की निगरानी करेगी ।

(2) निगरानी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति का पुनर्गठन किए जाने तक होगा और इसके बाद निगरानी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी ।

(3) निगरानी समिति उन क्रियाकलापों को अनुज्ञात नहीं करेगी जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचनाओं अर्थात् पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 सं.का.आ.1533 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 और तटीय विनियम जोन अधिसूचना, 2011 सं.का.आ 19 (अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 तथा इनमें किए गए परिवर्ती संशोधनों की अनुसूची के अंतर्गत आते हैं और जो पारिस्थितिकी जोन की सीमा में भी आते हैं जिनमें इस अधिनियम के पैरा-4 में दी गई सारणी में यथाविनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप भी शामिल है। केवल श्वेत श्रेणी के उद्योगों को ही केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा "उद्योगों के वर्गीकरण, 2016" के लिए जारी दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट माना जाएगा ।

(4) वे क्रियाकलाप, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचनाओं सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 और का.आ. 19 (अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 की अनुसूची के अंतर्गत नहीं आते हैं और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा में आते हैं, उनकी, इस अधिसूचना के पैरा-4 में दी गई सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, वास्तविक स्थल–विशिष्ट दशाओं के आधार पर निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा करके उन्हें संबंधित विनियामक प्राधिकरणों को भेजा जाएगा ।

(5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबंधित आयुक्त इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 19 के अधीन शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम होगा ।

(6) निगरानी समिति संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों या संबंधित पक्षों को, प्रत्येक मामले मे आवश्यकता के अनुसार, अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में वन्यजीव वार्डन को, **उपाबंध IV** में दिए गए प्रपत्र के अनुसार, उस वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे ।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेगी ।

8. इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्यधीन होंगे ।

[फा. सं. 25/54/2017-ईएसजेड]

ललित कपूर, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध-I

पारिस्थितिकी संवेदी जोन सहित पेंच बाघ रिजर्व (इंदिरा प्रियदर्शिनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान और मोगली पेंच अभयारण्य), मध्य प्रदेश का मानचित्र

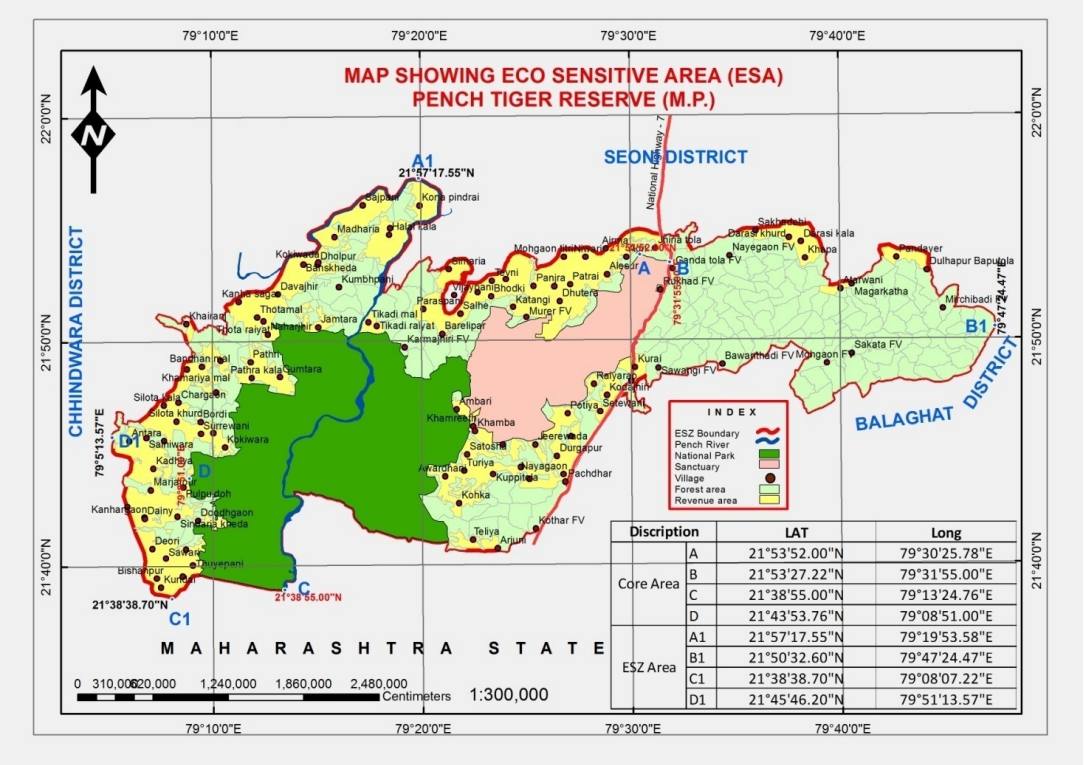

Discription		LAT	Long
Core Area	A	21°53'52.00"N	79°30'25.78"E
	B	21°53'27.22"N	79°31'55.00"E
	C	21°38'55.00"N	79°13'24.76"E
	D	21°43'53.76"N	79°08'51.00"E
ESZ Area	A1	21°57'17.55"N	79°19'53.58"E
	B1	21°50'32.60"N	79°47'24.47"E
	C1	21°38'38.70"N	79°08'07.22"E
	D1	21°45'46.20"N	79°51'13.57"E

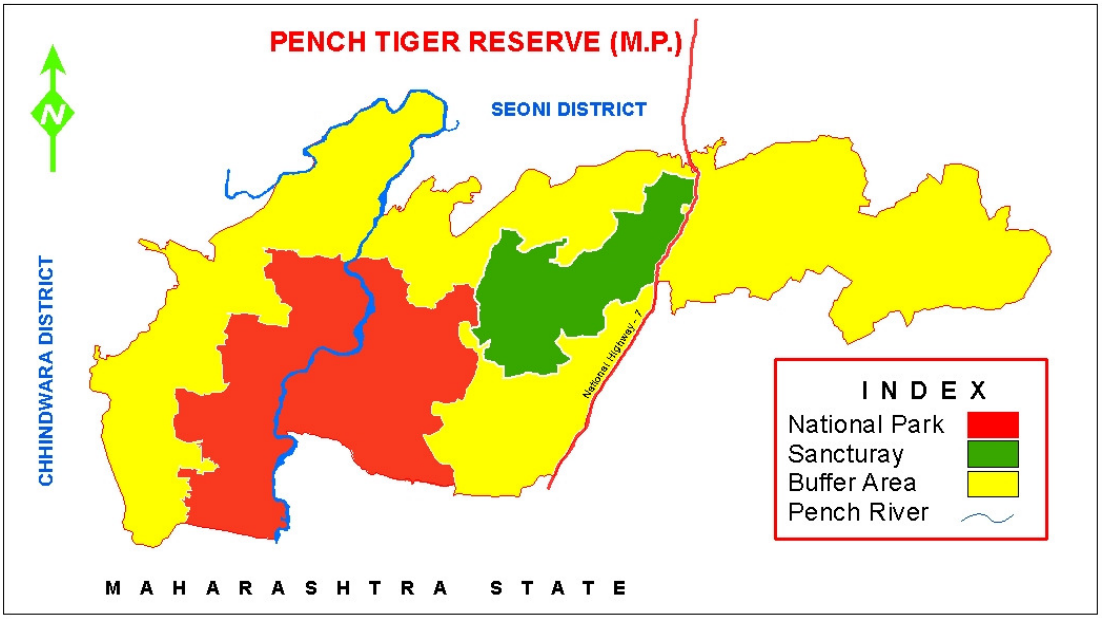

पेंच बाघ रिजर्व के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा (इंदिरा प्रियदर्शिनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान और मोगली पेंच अभयारण्य),

(1) घाटकोहका रेंज –

उत्तरी सीमा – पेंच नदी से दक्षिण सिवनी क्षेत्रीय संभाग के कम्पार्टमेंट सं. आर एफ **379** की उत्तरी सीमा, कम्पार्टमेंट सं. **383** की दक्षिणी सीमा एवं रिछी वन ग्राम, आर एफ **382** की उत्तरी सीमा, आर एफ **381** की पश्चिमी-उत्तरी और पूर्वी सीमा, आर एफ **395** उत्तरी सीमा, सीमरिया ग्राम की उत्तरी-पूर्वी और दक्षिणी सीमा, पारसपानी ग्राम की पूर्वी सीमा, बरेलीपार ग्राम की उत्तरी सीमा, सालहे और सर्राहिर्री ग्राम की पश्चिमी सीमा, तेवनी और घाटकोहका ग्राम की उत्तरी सीमा, पी एफ **451** की उत्तरी-पूर्वी सीमा, पंजरा और सिंदरिया ग्राम की उत्तरी सीमा, मोहगांव ग्राम की पश्चिमी और उत्तरी सीमा, निवरी ग्राम की उत्तरी सीमा, अगरी ग्राम की पश्चिमी-उत्तरी सीमा, पी एफ **455 (**एन एच**-7)** की उत्तरी-पूर्वी सीमा।

पूर्वी सीमा – बफर ज़ोन में पी एफ **455** की पूर्वी सीमा।

दक्षिणी सीमा – पेंच मोगली अभयारण्य की सीमा **(**कम्पार्टमेंट सं. **644** से **615),** आर एफ **616** की उत्तरी सीमा से श्रेणी कर्माझिरी की इंदिरा प्रियदर्शिनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान और मोगली पेंच अभयारण्य से (राष्ट्रीय उद्यान सीमा) **592** की उत्तरी सीमा।

पश्चिमी सीमा – कम्पार्टमेंट सं. 592 की उत्तरी-पश्चिमी सीमा से पेंच नदी (सिवनी-छिंदवाड़ा जिला लाइन) एवं कम्पार्टमेंट सं. 379 की सीमा के उत्तरी-पश्चिमी किनारे।

(2) खावसा-रेंज-

उत्तरी सीमा –

आर एफ कम्पार्टमेंट 616 **इंदिरा प्रियदर्शिनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान की दक्षिणी सीमा से (कम्पार्टमेंट** 618 **से** 659**) एन एच**7 **पेंच मोगली अभयारण्य की दक्षिणी सीमा** ।

पूर्वी सीमा -

पिंडकापर से कोथर ग्राम एन एच - 7 तक।

दक्षिणी सीमा -

कम्पार्टमेंट सं. 330 में कोथर ग्राम की दक्षिणी सीमा से आर एफ 605 (इंदिरा प्रियदर्शिनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान)

पश्चिमी सीमा -

आर एफ 605 से 616 की दक्षिणी सीमा से इंदिरा प्रियदर्शिनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान तक।

(3) रुखाद रेंज

उत्तरी सीमा -

पी एफ **456** की पश्चिमी, उत्तरी और पूर्वी सीमा, आर एफ **417, 418** एवं **420** की उत्तरी सीमा, शाकादेही, दरासी खुर्द एवं दरासी कलान ग्राम की उत्तरी सीमा।

पूर्वी सीमा -

दरासी कलान की उत्तरी सीमा से पी एफ **448**, आर एफ **430, 405, 235, 236** और **239** की पूर्वी सीमा।

दक्षिणी सीमा -

आर एफ **239** की दक्षिणी सीमा से आर एफ **238, 240, 241, 242, 243, 245** एवं **246** एन एच – **7** की दक्षिणी सीमा तक।

पश्चिमी सीमा – कम्पार्टमेंट सं. **246** से **417** के साथ एन एच**-7** की पश्चिमी सीमा।

(4) आरी**–** रेंज

उत्तरी सीमा – दरसीकला ग्राम की उत्तरी-पूर्वी सीमा, खापा ग्राम एवं पी एफ **449** की पूर्वी सीमा, आर एफ **193** एवं अतरवानी ग्राम की उत्तरी सीमा, ग्राम मगरकाथा एवं आर एफ **197,** एवं आर एफ **188,** आर एफ **185** की उत्तरी-पश्चिमी सीमा**,** आर एफ **205** की उत्तरी सीमा**,** दुल्हापुर एवं बापुटोला ग्राम की उत्तरी एवं पूर्वी सीमा**,** पी एफ **204** की पूर्वी एवं आर एफ **174** की उत्तरी एवं पश्चिमी सीमा तक।

पूर्वी सीमा -

आर एफ **174** की उत्तरी सीमा, से **168, 166** एवं **165** की उत्तरी सीमा और आर एफ **164, 163** एवं **162** की पूर्वी सीमा।

दक्षिणी सीमा -

आर एफ **161, 160, 159, 158** एवं **222 (**सिवोनी-बालाघाट जिला सीमा रेखा**)** की दक्षिणी सीमा आर एफ **225** की दक्षीणी सीमा**,** आर एफ **215, 218** की दक्षिणी पश्चिमी सीमा, आर एफ **216,** एवं आर एफ **230** की पश्चिमी सीमा, आर एफ **231,** पी एफ **271** की दक्षिणी सीमा और आर एफ **239** की पूर्वी सीमा।

पश्चिमी सीमा -

आर एफ 234 की उत्तर-पश्चिमी सीमा, खापा ग्राम एवं 233, 431, पी एफ 449 की पश्चिमी सीमा।

(5) कुमभपानी रेंज

उत्तरी सीमा -

आर एफ **1401** की उत्तरी सीमा से आर एफ **1402** की उत्तरी सीमा, आर एफ **1403** पश्चिमी और उत्तरी सीमा, कान्हासागर दाझीर ग्राम की उत्तरी सीमा**,** बंशखाड़ा ग्राम की उत्तर-पश्चिमी सीमा से पेंच नदी के साथ कोनापिंडरी ग्राम की उत्तरी सीमा।

पूर्वी सीमा -

कोनापिंडरी ग्राम की पूर्वी सीमा से गुमतारा श्रेणी, कम्पार्टमेंट सं. **1422** पेंच नदी के साथ इंदिरा प्रियदर्शिनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान।

दक्षिणी सीमा -

कम्पार्टमेंट आर एफ **1422** से **1443** इंदिरा प्रियदर्शिनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान से राष्ट्रीय उद्यान सीमा रेखा। मध्यवर्ती क्षेत्र में कम्पार्टमेंट **1443** की पश्चिमी सीमा आर एफ **1498** की दक्षिणी सीमा चौरागांव की दक्षिणी सीमा तक।

पश्चिमी सीमा -

चौरागांव एवं खमरिया ग्राम की पश्चिमी सीमा पी एफ **1408** सिंगरादीप ग्राम, बंधन रयात और आर एफ **1402** की पश्चिमी सीमा, आर एफ **1401** की दक्षिणी सीमा तक।

(6) खामरपानी रेंज -

उत्तरी सीमा -

आर एफ **1487** एवं **1490** की पश्चिमी सीमा, सलीवारा ग्राम की पश्चिमी और उत्तरी सीमा, पी एफ **1491** की उत्तरी सीमा, पी एफ **1491** की उत्तरी सीमा, सिलोता खुर्द ग्राम की पश्चिमी सीमा एवं सिलोता कलान ग्राम की पश्चिमी उत्तरी सीमा, चौरागांव एवं खमरिया ग्राम की पश्चिमी सीमा, पी एफ **1497** एवं बोरिया ग्राम की उत्तरी सीमा से कम्पार्टमेंट सं. **1443** राष्ट्रीय उद्यान की सीमा तक।

पूर्वी सीमा -

कम्पार्टमेंट सं. **1443** से **1465** इंदिरा प्रियदर्शिनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान से राष्ट्रीय उद्यान की सीमा रेखा तक।

दक्षिणी सीमा -

कम्पार्टमेंट सं. **1465** से कुंदई ग्राम की इंदिरा प्रियदर्शिनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान की दक्षिणी सीमा।

पश्चिमी सीमा -

कुंदई ग्राम की दक्षिणी सीमा, बिसनपुर ग्राम की पश्चिमी सीमा, आर एफ 1483 से सवरी, देवरी, कान्हासागर, खामरपानी, देनी, पी एफ 1486 और करहैया ग्राम, आर एफ 1487 एवं1490 और अंतरा ग्राम ।

उपाबंध-II

पेंच बाघ रिजर्व (इंदिरा प्रियदर्शिनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान और मोगली पेंच अभयारण्य), मध्य प्रदेश की सीमा के भू-निर्देशांक

मुख्य बिंदुओं के साथ पेंच बाघ रिजर्व की सीमा के जी पी एस निर्देशांक			
क्र. सं.	**जी पी एस**	**देशांतर**	**अक्षांश**
1.	ई01	79°30.475'पू	21°53.747'उ
2.	ई02	79°32.012'पू	21°52.378'उ
3.	ई03	79°30.217'पू	21°48.994'उ
4.	ई04	79°26.390'पू	21°46.212'उ
5.	ई05	79°21.965'पू	21°47.766'उ
6.	ई06	79°21.314'पू	21°41.099'उ
7.	ई07	79°14.327'पू	21°42.814'उ
8.	ई08	79°31.421'पू	21°38.899'उ
9.	ई09	79°9.042'पू	21°39.606'उ
10.	ई10	79°9.887'पू	21°42.969'उ
11.	ई11	79°9.031'पू	21°45.133'उ
12.	ई12	79°11.509'पू	21°48.018'उ
13.	ई13	79°14.418'पू	21°50.659'उ
14.	ई14	79°18.288'पू	21°50.084'उ
15.	ई15	79°22.419'पू	21°49.278'उ
16.	ई16	79°23.411'पू	21°51.487'उ
17.	ई17	79°27.156'पू	21°50.588'उ
18.	ई18	79°28.233'पू	21°52.215'उ

पेंच बाघ रिजर्व (इंदिरा प्रियदर्शिनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान और मोगली पेंच अभयारण्य), मध्य प्रदेश की सीमा के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भू-निर्देशांक

क्र. सं.	जी पी एस	देशांतर	अक्षांश
1.	ई01	79°8.288'पू	21°38.840'उ
2.	ई02	79°7.939'पू	21°42.273'उ
3.	ई03	79°10.030'पू	21°45.870'उ
4.	ई04	79°11.823'पू	21°49.097'उ
5.	ई05	79°12.439'पू	21°51.689'उ
6.	ई06	79°16.638'पू	21°51.505'उ
7.	ई07	79°21.257'पू	21°50.222'उ
8.	ई08	79°25.231'पू	21°51.924'उ
9.	ई09	79°29.554'पू	21°53.979'उ
10.	ई10	79°33.198'पू	21°53.671'उ
11.	ई11	79°32.730'पू	21°51.096'उ
12.	ई12	79°31.085'पू	21°48.274'उ
13.	ई13	79°27.733'पू	21°46.064'उ
14.	ई14	79°24.940'पू	21°44.505'उ
15.	ई15	79°21.879'पू	21°42.912'उ
16.	ई16	79°22.268'पू	21°40.776'उ

उपाबंध-III

पेंच बाघ रिजर्व (पेंच राष्ट्रीय उद्यान और पेंच मोगली अभयारण्य), के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

क्रं. सं.	ग्राम	अक्षांश			देशांतर		
		डिग्री	मिनट	सेकेण्ड	डिग्री	मिनट	सेकेण्ड
1	2	3	4	5	6	7	8
1	तीकारी मल	21	50	38.80	79	17	43.40
2	तीकारी रयात	21	50	37.20	79	17	45.80
3	करमाझिरी (एफ वी)	21	49	38.40	79	19	11.70
4	बरेलीपार	21	50	18.70	79	20	58.70
5	सलाहाई	21	51	12.90	79	21	53.10
6	सिमरिया	21	53	8.20	79	25	18.00
7	साराहरी	21	52	6.60	79	22	42.40
8	भोदकी	21	51	57.40	79	23	15.40
9	तेवनी	21	52	39.70	79	23	18.90

10	घाट कोहका	21	52	43.20	79	24	7.20
11	कटान्गी	21	51	37.60	79	24	16.80
12	मुरेर (एफ वी)	21	51	4.00	79	24	55.90
13	पंजरा	21	52	26.10	79	25	21.20
14	सिंदारिया	21	52	27.40	79	25	59.50
15	धुतेरा	21	51	44.90	79	26	38.20
16	मोहगांव तितरी	21	53	45.40	79	26	51.90
17	पतराई	21	52	28.00	79	27	7.90
18	निवारी	21	53	43.20	79	27	49.60
19	अलेसुर	21	52	56.80	79	28	45.90
20	अगरी	21	53	45.90	79	29	33.50
21	पारासपानी	21	51	24.60	79	20	3.70
22	राययारौ	21	47	52.50	79	27	54.80
23	पिण्डकापर	21	48	27.10	79	30	30.30
24	कोदाझीर	21	47	28.50	79	29	20.60
25	सेतेवानी	21	46	34.40	79	28	45.70
26	पोतिया	21	46	45.40	79	27	7.10
27	अमबारी	21	46	55.00	79	27	7.10
28	खामरीथ	21	46	11.80	79	22	21.80
29	मामबा	21	45	53.90	79	22	27.60
30	विजयपानी	21	45	22.40	79	23	55.90
31	जीरेवारा	21	45	13.10	79	25	33.60
32	मोहगांव यादव	21	45	44.60	79	27	19.20
33	दुर्गापुर	21	44	48.60	79	21	26.50
34	सतोशा	21	44	54.00	79	22	12.70
35	अम्बाझीरी	21	44	15.80	79	24	46.30
36	तेलिया	21	41	55.00	79	22	15.60
37	आवारघानी	21	43	56.40	79	21	7.60
38	कुप्पीटोला	21	44	2.80	79	23	21.20
39	नयागांव	21	43	56.20	79	26	49.30
40	मुन्डीयारीथ	21	43	51.20	79	25	9.20
41	पचधार	21	43	36.20	79	26	51.70

42	कोहका	21	42	54.90	79	21	51.20
43	तुरिया	21	44	5.80	79	21	57.80
44	अरजुनी	21	40	44.20	79	23	17.90
45	कोथर (एफ वी)	21	41	31.10	79	25	26.10
46	साखादेही	21	54	51.60	79	35	59.30
47	दरासी खुर्द	21	54	32.80	79	37	34.40
48	दरासी कला	21	54	21.50	79	38	9.90
49	सवानगी (एफ वी)	21	48	57.30	79	35	9.30
50	बवानथादी (एफ वी)	21	48	55.25	79	34	20.38
51	गंदाटोला या रुखाद	21	52	15.90	79	31	36.90
52	नयेगांव (एफ वी)	21	53	55.90	79	34	46.60
53	खापा	21	53	35.00	79	38	27.00
54	अतारवानी	21	52	14.30	79	40	3.00
55	मगरकाथा	21	52	27.40	79	40	34.60
56	पंदायेर	21	53	36.90	79	42	43.00
57	दुल्हापुर (बापुटोला)	21	53	8.30	79	44	23.10
58	मोहगांव (एफ वी)	21	48	56.00	79	39	22.00
59	मिर्छवाडी	21	51	20.43	79	44	54.84
60	सकाटा (एफ वी)	21	51	19.70	79	44	55.40
61	कुरई	21	48	47.52	79	30	11.62
62	बंसखेडा	21	53	24.80	79	14	30.00
63	कुम्भपानी (एफ वी)	21	52	16.70	79	16	0.50
64	दावाझीर	21	52	5.00	79	13	13.40
65	जमतारा	21	50	38.90	79	15	0.90
66	कान्हासागर	21	51	3.60	79	11	44.20
67	थोटामल	21	51	5.00	79	12	1.30
68	थोटा रैयात	21	50	53.20	79	12	26.00
69	नाहरझीर	21	50	11.70	79	12	46.10
70	बंधन मल	21	49	8.50	79	10	18.20
71	पथरी	21	49	15.00	79	11	48.60
72	बंधन रैयात	21	48	49.30	79	9	43.10
73	गुमतारा	21	48	25.00	79	13	10.20

74	पथरा खुर्द	21	48	22.80	79	11	51.00
75	खामरिया	21	48	46.70	79	8	56.00
76	सिंगरदीप	21	47	43.90	79	9	47.40
77	घारगांव	21	47	2.90	79	8	32.00
78	कोनापिंडराई	21	56	3.10	79	19	56.30
79	साजपानी	21	56	4.50	79	17	12.80
80	हलाल कला	21	48	18.40	79	18	5.10
81	हलाल खुर्द	21	55	3.10	79	18	31.30
82	मदरीया	21	54	39.50	79	15	52.20
83	कोकीवारा	21	53	32.50	79	15	4.50
84	धौलपुर	21	53	26.80	79	15	3.00
85	खरंज (एफ वी)	21	50	55.10	79	8	43.20
86	सलीवाडा	21	44	21.60	79	6	49.60
87	अंतरा	21	45	32.00	79	5	57.20
88	दोंगरगांव	21	44	21.60	79	6	57.90
89	कधिया	21	48	22.50	79	11	50.80
90	दैनी	21	42	7.90	79	6	44.10
91	मरजातपुर	21	45	29.90	79	6	1.20
92	पुलपुलदोह	21	43	19.40	79	7	1.70
93	खामरपानी	21	44	21.60	79	5	59.10
94	दुधगांव	21	42	6.80	79	10	35.90
95	कंनहारगांव	21	42	6.80	79	6	43.60
96	देवरी	21	44	54.50	79	7	5.40
97	मोहगांव खुर्द	21	40	39.30	79	9	5.50
98	सनवारी	21	44	2.50	79	7	44.20
99	थुयेपानी	21	40	10.50	79	8	43.90
100	चिर्रेवानी	21	9	7.80	79	8	48.30
101	बासनपुर	21	39	33.70	79	7	9.20
102	बोरदी	21	46	21.80	79	9	18.40
103	सिर्रेपानी	21	45	16.70	79	10	49.10
104	पथरा कला	21	40	10.50	79	8	48.30
105	कोकीवारा	21	45	16.90	79	10	43.30

106	कुनदई	21	39	13.90	79	7	26.90
107	सिलोता कला	21	47	5.20	79	7	46.30
108	सिलोता खुर्द	21	46	33.60	79	8	14.50

उपाबंध IV

पारिस्थितिकी संवेदी जोन की निगरानी समिति - की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट का प्रपत्र

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत को एक पृथक उपाबंध में प्रस्तुत करें ।
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति ।
4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार। विवरण उपाबंध के रुप में संलग्न करें।
5. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार । विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें ।
6. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार । विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st May, 2018

S.O. 2030(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110003, or send it to the e-mail address of the Ministry at esz-mef@nic.in.

Draft Notification

WHEREAS, The Indira Priyadarsini Pench National Park is located in Seoni and Chhindwara districts & The Pench Mowgali Sanctuary is confined to Kurai block of Seoni district of Madhya Pradesh. The buffer area includes part of Reserve and Protected Forests of South Seoni Division in Seoni district and East and South Chhindwara Divisions of Chhindwara district. The Core Area / Critical Tiger Habitat of Pench Tiger Reserve is situated at the geographical coordinates at Longitude 79^0 08' 51" to 79^0 31' 55" E and Latitude 21^0 38' 55" to 21^0 53' 52" N with Core Area of 411.33 sq. kms.

AND WHEREAS, the Core Area of Pench Tiger Reserve is comprised of Indira Priyadarshini Pench National Park and Pench Mowgli Sanctuary. The management of Pench Mowgli Sanctuary was assigned to the Pench Tiger Reserve in the year 1995 vide the Govt of M P Forest Department's Notification F – 14/176/94/10/2, Bhopal, dated 29-03-95. The area of National Park and Sanctuary is declared as Core of PTR Seoni in 2007. vide MP Government Forest Department notification No. F 15-31-2007-X-2 dated 24.12.2007. The buffer area of 768.300 sq. kms. has been finally notified by

MP Government Forest Department notification no. F-15-8/2009/10-2 dated 5th October 2010. The buffer zone is under the direct control of three territorial divisions like South Seoni division, East Chhindwara division and South Chhindwara division. The process is on to give this area under control of Field Director, Pench Tiger Reserve.

AND WHEREAS, the Pench Tiger Reserve has its importance in the natural history of central India. Many eulogies of its natural beauty and its richness in fauna & flora have appeared in numerous literatures dating back to the 17th century. Books, pertaining to 19th and early 20th century, by famous naturalists like caption J. Forsyth (High lands of central India), R.A. Sterndale (Camp life in Seoni, and Mammals of India:), Dunbar Brander (Wild animals in Central India) and Rudyard Kipling (Jungle book) explicitly present the detailed panorama of nature's abundance in this tract of Satpura hill Ranges.

AND WHEREAS, the area of Pench Tiger Reserve is also popularly known as Mowgli Land. A boy named Mowgli, brought up by a herd of wolves was found in the Sant Bawadi village by Leut. John Moor under the guidance of Col. Villiam Sleeman in 1831. Kipling got this flamboyant description of things both from the pamphlet titled, "An account of wolves nurturing children in their dens" by Sir William Henry Sleeman and a book on 'Camp Life of Seoni" by R. A. Sterendale. The Jungle Book mentions a place where Sher Khan was killed. This place is in fact the Valley of Benganga River, near Kanhiwada village. At the present time, these places of historical significance are falling under the famous Pench National Park. Central Highlands of India is one of the most important habitats in the world for the conservation of highly endangered great cat "Tiger". The Pench Tiger Reserve is centrally located in these highlands. It is connected to Kanha by forest of Seoni, Balaghat and Mandla districts and southern side is contiguous with Pench Tiger Reserve of Maharastra.

The wetlands of Pench Tiger Reserve are of great significance in the context of conservation of avian fauna, as it not only provides suitable habitat for the residential birds; but also provide wintering grounds for many waterfowls. The islands in Totaladoh reservoir provide nesting grounds to many island nesting birds like River Tern, Small Pratincol & Little Tern. That's why this area is included in IMPORTANT BIRD AREA.

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area around the protected area of Pench Tiger Reserve (Indira Priyadarsini Pench National Park and Mowgali Pench Sanctuary) as eco-sensitive zone from ecological and environmental point of view;

NOW THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area with an extent varies from zero to 27 kilometres around the boundary of Pench Tiger Reserve (Indira Priyadarsini Pench National Park and Mowgali Pench Sanctuary) in the State of Madhya Pradesh as the Pench Tiger Reserve (Indira Priyadarsini Pench National Park and Mowgali Pench Sanctuary) Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. **Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone**.-(1) The total area of the eco-sensitive zone of Pench Tiger Reserve (Indira Priyadarsini Pench National Park and Mowgali Pench Sanctuary) is 1180.63 square kilo meters covering entire notified buffer area of Pench Tiger Reserve, Indira Priyadarshini Pench National Park and Pench Mowgli Sanctuary, and whenever buffer does not exist around core and extent of buffer is less than 2 Km from the boundary of core in such locations the ESZ will be up to 2 km from the core boundary irrespective of ownership, falls in Seoni and Chhindwara Districts in the Madhya Pradesh. The extent of Eco-sensitive Zone varies from zero (due to Inter-State boundary) to 27 kilometers.

(2) The map of the Eco-sensitive Zone boundary along with boundary description is at **Annexure I.**

(3) The list of geo co-ordinates of the boundary of the Protected Area and the Eco-Sensitive Zone is at **Annexure II**.

(4) The list of villages falls in the Eco-sensitive zone is appended as **Annexure III**.

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.- (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of Competent Authority in the State Government.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:

(i) Environment,

(ii) Forest and Wildlife,

(iii) Agriculture and Horticulture,

(iv) Revenue,

(v) Urban Development,

(vi) Tourism including eco-tourism,

(vii) Rural Development,

(viii) Irrigation and Flood Control,

(ix) Municipal and Urban Development,

(x) Panchayati Raj, and

(xi) Public Works Department.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded and degraded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies and also with supporting maps. The Plan shall be supported by Maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited, regulated activities listed in Table and also ensure and promote eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by State Government.-The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Landuse.-**

(a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for major commercial or major residential complex or industrial activities.

(b) Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a), within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central/State Government as applicable and vide provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents such as:

(i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

(iii) Small scale industries not causing pollution;

(iv) Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

(v) Promoted activities and given under para 4.

(c) Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

(d) Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

(e) Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(f) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat and biodiversity restoration activities.

(2) **Natural Springs.-** The catchment areas of all natural springs/rivers/ channels shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan.

(3) **Tourism/Eco-Tourism.-** (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b)The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) No new construction of hotels and resorts shall be allowed within 1 km from the boundary of the Wildlife Sanctuary or upto the extent of the ESZ whichever is nearer. However, beyond the distance of 1 km from the boundary of the Wildlife Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan.

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism;

(iii) Until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel /resort or commercial establishment construction is permitted within ESZ area.

(4) **Natural Heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.-** The Environment Department of the State Government or Madhya Pradesh State Pollution Control Board shall implement the regulations for control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions stipulated of The Noise Pollution (Regulation And Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986.

(7) **Air pollution.-** Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder and amendments thereto.

(8) **Discharge of effluents.-** Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.

(9) **Solid wastes. -** Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

(a) the solid waste disposal and management in Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 and published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated 8th April, 2016 as amended from time to time; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(10) **Bio-medical waste.-** Bio medical waste management shall be as under:

(a) The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide Notification number GSR 343 (E), dated the 28th March, 2016 as amended from time to time.

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Bio-medical wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(11) **Plastic Waste Management**.- The Plastic Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.

(12) **Construction and Demolition Waste Management**.- The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) **E-waste**.- The E- Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and as amended from time to time.

(14) **Vehicular traffic**. - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) **Vehicular Pollution.-** Prevention and control of Vehicular Pollution shall be complied with in accordance with applicable laws. Efforts to be made for use of cleaner fuel for example CNG, LPG, etc.

(16) **Industrial Units.-** (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be allowed to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within ESZ as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) **Protection of Hill Slopes:** The protection of hill slopes shall be as under:

(a) The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted.

(b) No construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

(18) The Central Government and the State Government shall specify other additional measures, if it considers necessary, in giving effect to the provisions of this notification.

4. List of activities prohibited or to be regulated or promoted within the Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone (CRZ), 2011 and the Environmental Impact Assessment (EIA) Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

Sl. No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
Prohibited activities		
1.	Commercial Mining	(a) All new and existing (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for other activities. (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N.

		Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries including new oil and gas exploration causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.)	No new industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive zone shall be permitted. Only non-polluting industries shall be allowed within ESZ as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major thermal and major hydroelectric projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws
6.	Setting of new saw mills and wood based industries.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Use of plastic bags.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
9.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws
Regulated activities		
10.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometre of the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities. Provided that, beyond one kilometre from the boundary of the protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
11.	Construction activities	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one Kilometre from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub paragraph (1) of paragraph 3 as per building byelaws to meet the residential needs of the local residents such as: (i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads; (ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities; (iii) Small scale industries not causing pollution termed as per Classification done by Central Pollution Control Board of February 2016; (iv) Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including

		home stays; and (v) Promoted activities listed in this Notification. (b) Provided that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (c) Beyond one kilometre it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
12.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws for use of locals.
13.	Establishment of large scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate, companies.	Regulated under applicable laws.
14.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
15.	Felling of Trees	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
16.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
17.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws. Underground cabling may be promoted.
18.	Infrastructure including civic amenities.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
19.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
20.	Under taking other activities related to tourism like over flying the ESZ area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated under applicable laws.
21.	Protection of Hill Slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
22.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
23.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water/effluents shall be avoided to enter into the water bodies. Efforts to be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per applicable laws.
24.	Commercial use and extraction of surface and ground water.	Regulated under applicable laws.

25.	Open Well, Bore Well etc. for agriculture or other usage	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
26.	Solid Waste Management /Bio-medical Waste Management	Regulated under applicable laws
27.	Introduction of Exotic species.	Regulated under applicable laws.
28.	Use of Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
29.	Eco-tourism	Regulated under applicable laws
Promoted activities		
30.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
31.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
32.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
33.	Cottage industries including village artisans.	Shall be actively promoted.
34.	Use of renewable energy and fuels.	Bio gas, solar light etc. to be actively promoted
35.	Agro Forestry.	Shall be actively promoted.
36.	Plantation of Horticulture and Herbals	Shall be actively promoted
37.	Use of eco-friendly transport	Shall be actively promoted.
38.	Skill Development	Shall be actively promoted.
39.	Restoration of Degraded Land/ Forests/ Habitat.	Shall be actively promoted.
40.	Environmental Awareness	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee.- In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 (1) of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby constitutes the first Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco- Sensitive Zone, which shall comprise of, namely:-

i.	Divisional Commissioner, Jabalpur	-	Chairperson;
ii.	Representative of State Pollution Control Board	-	Member;
iii.	One representative of non-Governmental Organisation (working in the field of environment including heritage conservation) to be nominated by the State Government	-	Member;
iv.	A representative nominated by the Forest & Environment Department of Madhya Pradesh	-	Member;
v.	An expert in Biodiversity to be nominated by the State Government	-	Member;
vi.	An expert in Ecology and environment to be nominated by the State Government	-	Member;
vii.	In-charge Protected Area	-	Member Secretary.

6. Terms of Reference.-

(1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this Notification.

(2) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee would be constituted by the State Government.

(3) The Monitoring Committee shall not allow the activities that are covered in the Schedule to the notifications of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests namely Environmental Impact Assessment, 2006 vide S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and Coastal Regulation Zone, 2011 vide S.O. No. 19(E) dated 6th January, 2011 and subsequent amendments therein, and are falling in the Eco-sensitive Zone, including the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof. Only white categories of industries shall be considered as specified in the guidelines issued by the CPCB for "classification of Industries, 2016".

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and S.O. 19 (E) dated 6th

January, 2011 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.

(5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Commissioner shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wild Life Warden of the State under intimation to this Ministry as per proforma appended at **Annexure IV**.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F.No. 25/54/2017-ESZ)

LALIT KAPUR, SCIENTIST 'G'

Annexure-I

Map of Pench Tiger Reserve (Indira Priyadarsini Pench National Park and Mowgali Pench Sanctuary), Madhya Pradesh along with Eco-Sensitive Zone

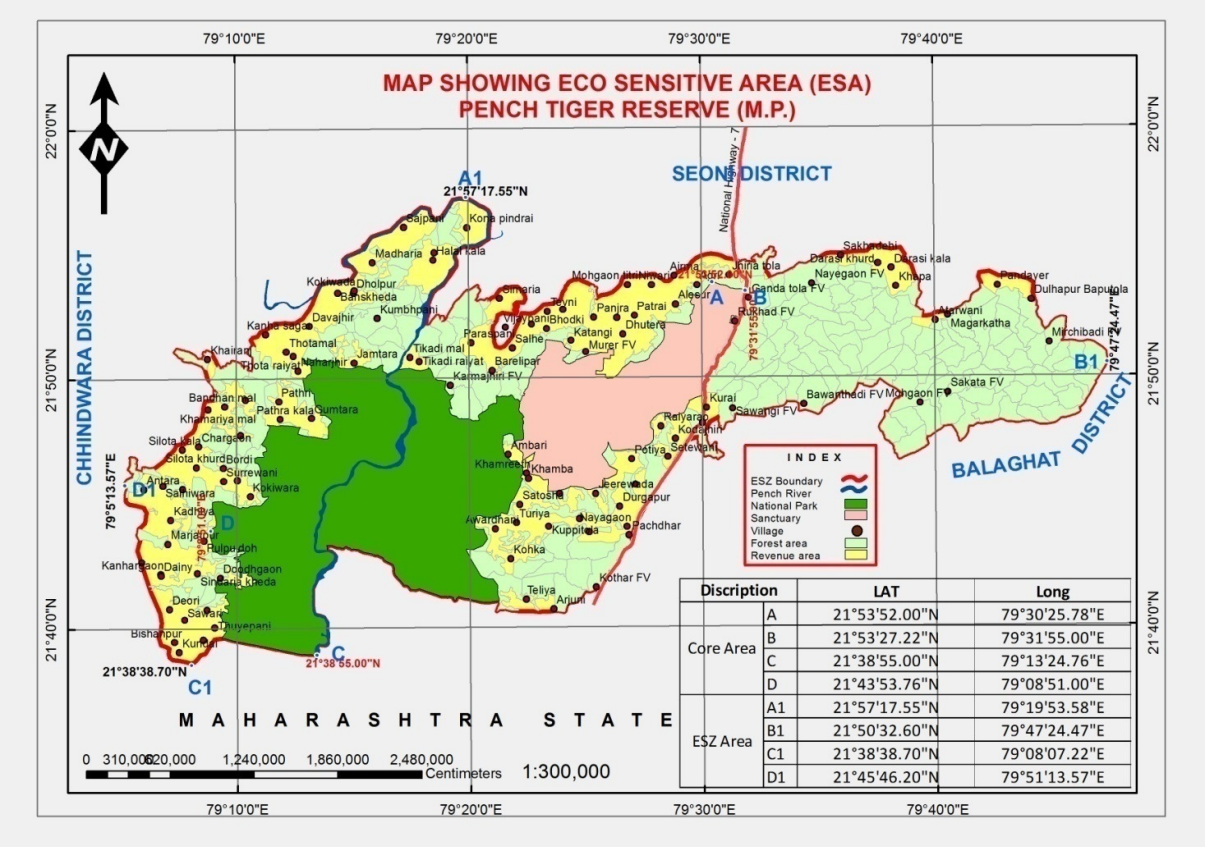

Discription		LAT	Long
Core Area	A	21°53'52.00"N	79°30'25.78"E
	B	21°53'27.22"N	79°31'55.00"E
	C	21°38'55.00"N	79°13'24.76"E
	D	21°43'53.76"N	79°08'51.00"E
ESZ Area	A1	21°57'17.55"N	79°19'53.58"E
	B1	21°50'32.60"N	79°47'24.47"E
	C1	21°38'38.70"N	79°08'07.22"E
	D1	21°45'46.20"N	79°51'13.57"E

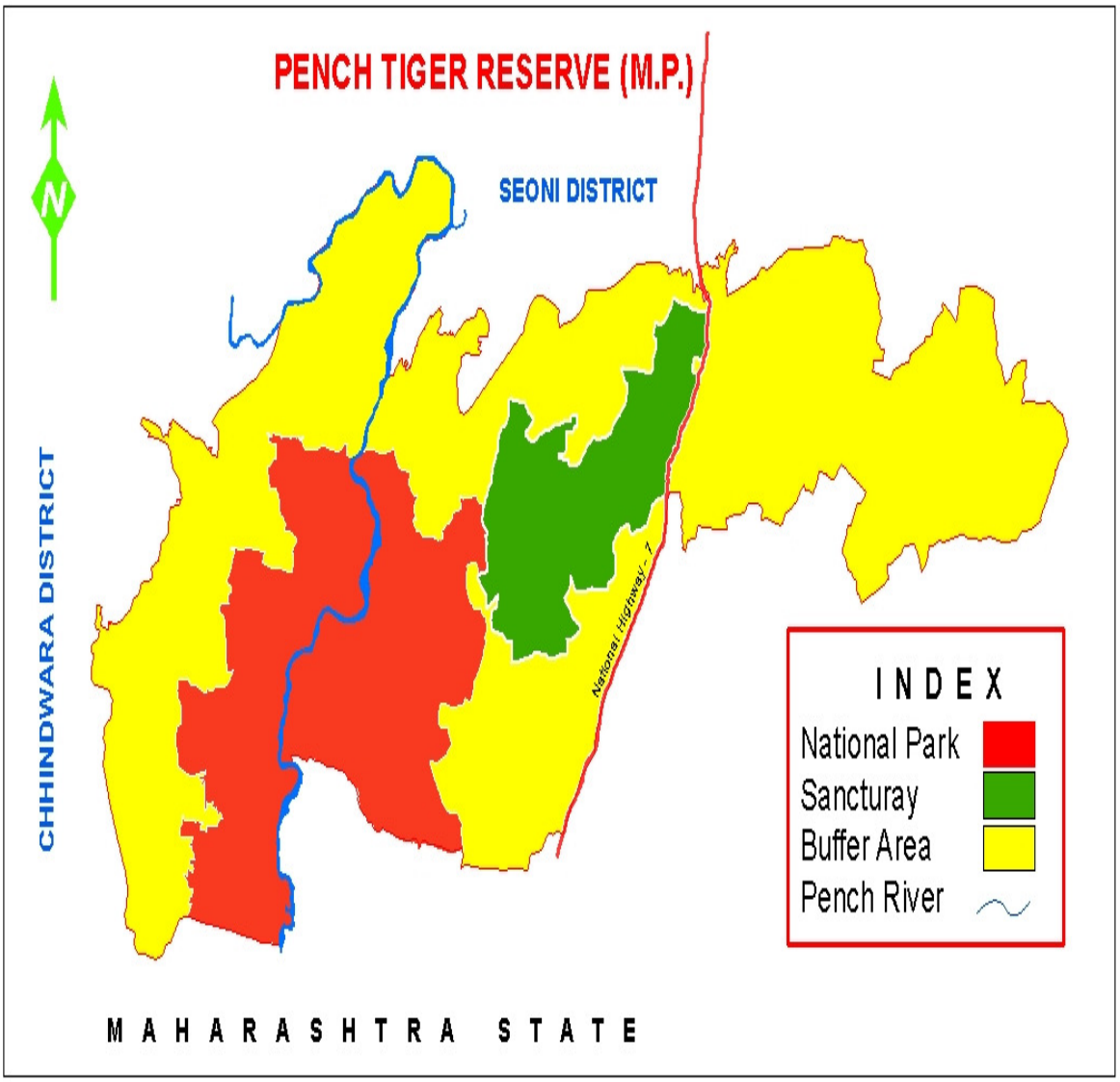

Boundaries of the ESZ around Pench Tiger Reserve (Indira Priyadarsini Pench National Park and Mowgali Pench Sanctuary),

(1) Range Ghatkohka –

Nothern Boundary – Pench river to northern boundary of compartment no RF 379 of South Seoni Teritorial Division, southern boundary of compartment no. 383 & Richhi forest village, northern boundary of RF 382, western - northern & eastern boundary of RF 381, northern boundary of RF 395, northen – eastern & southern boundary of Simariya village, eastern boundary of village Paraspani, northern boundary of village Barelipar, western boundary of village Salhe & Sarrahirri, northern boundary of village Teoni & Ghatkohka, northern – eastern boundary of PF 451, northern boundary of village Panjra & Sindariya, western and northern boundary of village Mohgaon, northern boundary of Village Niwari, western – northern boundary of village Agri, northern – eastern boundary of PF 455 (NH-7).

Eastern Boundary – Eastern boundary of PF 455 in Buffer Zone.

Southern Boundary – Boundary of Pench Mowgli Sanctuary (Compartment no. 644 to 615), northern boundary of RF 616 of Range Karmajhiri's Indira Priyadarshini Pench National Park to northern boundary of 592 (National Park Boundary).

Western Boundary – Northern – western boundary of compartment No. 592 to Pench river (Seoni – Chhindwara District Line) & north- western edge of boundary of Compartment No. 379.

(2) Range – Khawasa –

Nothern Boundary -

Southen Boundary of Comptt. RF 616 in Indira Priyadarshini Pench National Park to Southern boundary of Pench Mowgli Sanctuary (comptt. 618 to 659) NH-7

Eastern Boundary-

NH- 7 from Village Pindkapar to Kothar.

Southern Boundary-

Southern Boundary of village Kothar in comptt. 330 to RF 605 (Indira Priyadarshini Pench National Park)

Western boundary-

Southern Boundary of RF 605 to 616 upto Indira Priyadarshini Pench National Park

(3) Range Rukhad

Northen Boundary-

Western, northen and eastern boundary of PF 456, Northen Boundary of RF 417, 418 & 420, Northen boundary village Shakadehi, Darasi Khurd & Darasi Kalan

Eastern Boundary-

Northen eastern boundary of Village Darasi Kalan to Eastern boundary of PF 448, RF 430, 405, 235, 236 and 239

Southern Boundary-

Southern boundary of RF 239 to Southern boundary of 238, 240, 241, 242, 243, 245 & 246 upto NH – 7

Western boundary – NH-7 along western boundary of compartment no. 246 to 417.

(4) Range – Ari

Nothern boundary – Northern - eastern boundary village Darasikala, Eastern boundary of village Khapa & PF 449, Northern Boundary RF 193 & village Atarwani, RF 197 & village Magarkatha, & RF 188, North- Westren boundary RF 185, Northern boundary of RF 205, Northen & Eastern boundary of Village Dulhapur & Baputola, Eastern boundary of PF 204 upto Northen & Western boundary of RF 174.

Eastern Boundary-

Eastern boundary of RF 174, Northen boundary of 168, 166 & 165 and Eastern boundary of RF 164, 163 & 162.

Southern Boundary-

Southern boundary of RF 161, 160, 159, 158 & 222 (Seoni – Balaghat Distict boundary line) Southern boundary of RF 225, 218 Southern Western boundary of RF 215, Western boundary of RF 216, & RF 230, Southern boundary of RF 231, PF 271 and Eastern boundary of RF 239.

Western Boundary-

North - Western boundary of RF 234,western boundary 233, 431, PF 449 & village Khapa

(5) Range Kumbhpani

Northen Boundary-

Northen boundary of RF 1401 to northen boundary of RF 1402, western & northen boundary of RF 1403, northern boundary village Kanhasagar Dawajhir, north - Western boundary of village Banshkhada to Northen boundary of village Konapindri along Pench River

Eastern boundary-

Eastern boundary of village Konapindri to Range Gumtara, Comparment No. 1422 of Indira Priyadarshini Pench National Park along Pench River

Southern Boundary-

Indira Priyadarshini Pench National Park comptt. RF 1422 to 1443 National Park boundary line. Western boundary of comptt. 1443 part in buffer zone Southen boundary of RF 1498 upto Southern boundary of village Chargaon

Western Boundary-

Western boundary of Village Chargaon & Khamariya Western boundary of PF 1408 & village Singradeep , Bandhan Rayat and RF 1402 upto Southern boundary of RF 1401

(6) Range Khamarpani-

Northern Boundary-

Western boundary of RF 1487 &1490, Western & Northern boundary of village Saliwara, Northern boundary of PF 1491, northern boundary of PF 1491, Western boundary of village Silota Khurd & Western northern boundary of Silota Kalan, Western boundary of village Chargaon & Khamariya, Northen boundary of village Boria & PF 1497 to National Park boundary at comptt. No. 1443.

Eastern Boundary-

Indira Priyadarshini Pench National Park comptt. No 1443 to 1465 upto boundary line of National Park.

Southern Boundary-

Southern boundary of Indira Priyadarshini Pench National Park comptt. No. 1465 to village Kundai.

Western Boundary-

Southern boundary of village Kundai, Western boundary of village Bisanpur, Sawari, Deveri, Kanhasagar, Khamarpani, Deni, to RF 1483, village Karhaiya and PF 1486, Village Antra and RF 1487 &1490.

Annexure-II

Geo Co-ordinates of boundary of Pench Tiger Reserve (Indira Priyadarsini Pench National Park and Mowgali Pench Sanctuary), Madhya Pradesh

GPS Co-Ordinates of Points along the Boundary of Pench Tiger Reserve			
S.No.	**GPS**	**Longitude**	**Latitude**
1.	E01	79°30.475'E	21°53.747'N
2.	E02	79°32.012'E	21°52.378'N
3.	E03	79°30.217'E	21°48.994'N
4.	E04	79°26.390'E	21°46.212'N
5.	E05	79°21.965'E	21°47.766'N
6.	E06	79°21.314'E	21°41.099'N
7.	E07	79°14.327'E	21°42.814'N
8.	E08	79°31.421'E	21°38.899'N
9.	E09	79°9.042'E	21°39.606'N
10.	E10	79°9.887'E	21°42.969'N
11.	E11	79°9.031'E	21°45.133'N
12.	E12	79°11.509'E	21°48.018'N
13.	E13	79°14.418'E	21°50.659'N
14.	E14	79°18.288'E	21°50.084'N
15.	E15	79°22.419'E	21°49.278'N
16.	E16	79°23.411'E	21°51.487'N
17.	E17	79°27.156'E	21°50.588'N
18.	E18	79°28.233'E	21°52.215'N

Geo-coordinates of Eco-sensitive Zone Boundary of Pench Tiger Reserve (Indira Priyadarsini Pench National Park and Mowgali Pench Sanctuary), Madhya Pradesh

SL-NO	GPS	Longitude	Latitude
1.	E01	79°8.288'E	21°38.840'N
2.	E02	79°7.939'E	21°42.273'N
3.	E03	79°10.030'E	21°45.870'N
4.	E04	79°11.823'E	21°49.097'N
5.	E05	79°12.439'E	21°51.689'N
6.	E06	79°16.638'E	21°51.505'N
7.	E07	79°21.257'E	21°50.222'N
8.	E08	79°25.231'E	21°51.924'N
9.	E09	79°29.554'E	21°53.979'N
10.	E10	79°33.198'E	21°53.671'N
11.	E11	79°32.730'E	21°51.096'N

12.	E12	79º31.085'E	21º48.274'N
13.	E13	79º27.733'E	21º46.064'N
14.	E14	79º24.940'E	21º44.505'N
15.	E15	79º21.879'E	21º42.912'N
16.	E16	79º22.268'E	21º40.776'N

Annexure III

List of villages within the Eco Sensitive Zone of Pench Tiger Reserve (Pench National Park and Pench Mowgli Sanctuary)

S.No.	Village	Latitude			Longitude		
		DD	MM	SEC	DD	MM	SEC
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tikari mal	21	50	38.80	79	17	43.40
2	Tikari Rayat	21	50	37.20	79	17	45.80
3	Karmajhiri (FV)	21	49	38.40	79	19	11.70
4	Barelipar	21	50	18.70	79	20	58.70
5	Salahai	21	51	12.90	79	21	53.10
6	Simariya	21	53	8.20	79	25	18.00
7	Sarahari	21	52	6.60	79	22	42.40
8	Bhodki	21	51	57.40	79	23	15.40
9	Tevni	21	52	39.70	79	23	18.90
10	Ghat kohka	21	52	43.20	79	24	7.20
11	Katangi	21	51	37.60	79	24	16.80
12	Murer (FV)	21	51	4.00	79	24	55.90
13	Panjra	21	52	26.10	79	25	21.20
14	Sindaria	21	52	27.40	79	25	59.50
15	Dhutera	21	51	44.90	79	26	38.20
16	Mohgaon titri	21	53	45.40	79	26	51.90
17	Patrai	21	52	28.00	79	27	7.90
18	Niwari	21	53	43.20	79	27	49.60
19	Alesur	21	52	56.80	79	28	45.90
20	Agri	21	53	45.90	79	29	33.50
21	Paraspani	21	51	24.60	79	20	3.70
22	Raiyarao	21	47	52.50	79	27	54.80
23	Pindkapar	21	48	27.10	79	30	30.30
24	Kodajhir	21	47	28.50	79	29	20.60
25	Setewani	21	46	34.40	79	28	45.70
26	Potia	21	46	45.40	79	27	7.10
27	Ambari	21	46	55.00	79	27	7.10
28	Khamreeth	21	46	11.80	79	22	21.80
29	Kmamba	21	45	53.90	79	22	27.60
30	Vijaypani	21	45	22.40	79	23	55.90
31	Jeerewara	21	45	13.10	79	25	33.60
32	Mohgaon yadav	21	45	44.60	79	27	19.20
33	Durgapur	21	44	48.60	79	21	26.50
34	Satosha	21	44	54.00	79	22	12.70
35	Ambajhiri	21	44	15.80	79	24	46.30
36	Telia	21	41	55.00	79	22	15.60
37	Awarghani	21	43	56.40	79	21	7.60

38	Kuppitola	21	44	2.80	79	23	21.20
39	Nayagaon	21	43	56.20	79	26	49.30
40	Mundiareeth	21	43	51.20	79	25	9.20
41	Pachdhar	21	43	36.20	79	26	51.70
42	Kohka	21	42	54.90	79	21	51.20
43	Turia	21	44	5.80	79	21	57.80
44	Arjuni	21	40	44.20	79	23	17.90
45	Kothar (FV)	21	41	31.10	79	25	26.10
46	Sakhadehi	21	54	51.60	79	35	59.30
47	Darasi khurd	21	54	32.80	79	37	34.40
48	Darasi kala	21	54	21.50	79	38	9.90
49	Savangi (FV)	21	48	57.30	79	35	9.30
50	Bavanthadi (FV)	21	48	55.25	79	34	20.38
51	Gandatola or Rukhad	21	52	15.90	79	31	36.90
52	Nayegaon (FV)	21	53	55.90	79	34	46.60
53	Khapa	21	53	35.00	79	38	27.00
54	Atarwani	21	52	14.30	79	40	3.00
55	Magarkatha	21	52	27.40	79	40	34.60
56	Pandayer	21	53	36.90	79	42	43.00
57	Dulhapur (Baputola)	21	53	8.30	79	44	23.10
58	Mohgaon (FV)	21	48	56.00	79	39	22.00
59	Mirchhwadi	21	51	20.43	79	44	54.84
60	Sakata (FV)	21	51	19.70	79	44	55.40
61	Kurai	21	48	47.52	79	30	11.62
62	Banskheda	21	53	24.80	79	14	30.00
63	Kumbhpani (FV)	21	52	16.70	79	16	0.50
64	Dawajhir	21	52	5.00	79	13	13.40
65	Jamtara	21	50	38.90	79	15	0.90
66	Kanhasagar	21	51	3.60	79	11	44.20
67	Thotamal	21	51	5.00	79	12	1.30
68	Thota raiyat	21	50	53.20	79	12	26.00
69	Naharjhir	21	50	11.70	79	12	46.10
70	Bandhan mal	21	49	8.50	79	10	18.20
71	Pathri	21	49	15.00	79	11	48.60
72	Bandhan raiyat	21	48	49.30	79	9	43.10
73	Gumtara	21	48	25.00	79	13	10.20
74	Pathra khurd	21	48	22.80	79	11	51.00
75	Khamariya	21	48	46.70	79	8	56.00
76	Singardeep	21	47	43.90	79	9	47.40
77	Ghargaon	21	47	2.90	79	8	32.00
78	Konapindrai	21	56	3.10	79	19	56.30
79	Sajpani	21	56	4.50	79	17	12.80
80	Halal kala	21	48	18.40	79	18	5.10
81	Halal khurd	21	55	3.10	79	18	31.30
82	Madariya	21	54	39.50	79	15	52.20
83	Kokiwara	21	53	32.50	79	15	4.50
84	Dhoulpur	21	53	26.80	79	15	3.00
85	Kharanj (FV)	21	50	55.10	79	8	43.20

86	Saliwada	21	44	21.60	79	6	49.60
87	Antra	21	45	32.00	79	5	57.20
88	Dongargaon	21	44	21.60	79	6	57.90
89	Kadhiya	21	48	22.50	79	11	50.80
90	Dainy	21	42	7.90	79	6	44.10
91	Marjatpur	21	45	29.90	79	6	1.20
92	Pulpuldoh	21	43	19.40	79	7	1.70
93	Khamarpani	21	44	21.60	79	5	59.10
94	Dudhgaon	21	42	6.80	79	10	35.90
95	Kanhargaon	21	42	6.80	79	6	43.60
96	Devri	21	44	54.50	79	7	5.40
97	Mohgaon khurd	21	40	39.30	79	9	5.50
98	Sanwari	21	44	2.50	79	7	44.20
99	Thuyepani	21	40	10.50	79	8	43.90
100	Chirrewani	21	9	7.80	79	8	48.30
101	Basanpur	21	39	33.70	79	7	9.20
102	Bordi	21	46	21.80	79	9	18.40
103	Sirrepani	21	45	16.70	79	10	49.10
104	Pathra kala	21	40	10.50	79	8	48.30
105	Kokiwara	21	45	16.90	79	10	43.30
106	Kundai	21	39	13.90	79	7	26.90
107	Silota kala	21	47	5.20	79	7	46.30
108	Silota khurd	21	46	33.60	79	8	14.50

Annexure IV

Performa of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: mention main noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). [Details may be attached as Annexure]
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006. [Details may be attached as separate Annexure]
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006. [Details may be attached as separate Annexure]
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986;
8. Any other matter of importance.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2018.05.23 15:43:08 +05'30'